प्रस्तावना :–

भारतीय समाज में विभिन्न जनजातियों का पाया जाना हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आधुनिक युग की खोज उपभोगवाद पर आधारित है। किन्तु आदिम इतिहास के संदर्भ में आदिम जनजातीय का अध्ययन करना भी आधुनिक समाज की आवश्यकता है। ये आदिम आदिवासी जनजाति जंगलों में निवास करती है, जंगल ही इनका जीवन है तथा आधुनिकता की चकाचौंध से कौसों दूर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जनजाति अपने जंगली वातावरण में ही मदमस्त जीवन यापन करने के लिए बनी है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानवीय विकास का चक्र निरन्तर चलता रहता है। समाज का कर्तव्य है कि समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी–सम्पन्न जीवन–यापन करें। इस हेतु सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। वर्तमान परिवेश में आदिवासी जनजाति समुदाय का विकास सरकार की प्रमुखता है। देश के सम्पूर्ण विकास में सभी समुदाय का सहयोग आवश्यक है, किसी एक समुदाय को छोड़कर देश का समग्र विकास नहीं किया जा सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व की अनेक मानव जातियों ने विकास का कदम एकसाथ रखा जिसमें से कुछ मानव जातियों ने अपना विकास परिष्कृत रूप से किया और आधुनिक प्रजातियों में आ गये। किन्तु आधुनिक युग में अनेक आदिम जाति विलुप्त हो गई या विलुप्ति के कगार पर है, किन्तु भारतीय आदिम जनजाति ने अपने आपको विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रखा है जो कि भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषता है।

पराधीनता के समय में जब अंग्रेजों ने इनके निवास स्थलों पर अतिक्रमण किया तो ये सीधे–सादे आदिवासियों ने अंग्रेजी सत्ता के विरूद्ध अपने परम्परागत हथियारों (तीर–धनुष, भाले) से लड़ाई लड़ी। ‘‘बिरसा मुण्डा’’ आदिवासी समुदाय ने आजादी की लड़ाई में नेतृत्व किया और अपनी साहसिक प्रवृत्ति का परिचय दिया। ये आदिवासी और जनजातियाँ जंगलों, नदी, नालों और जंगली जानवरों के बीच सदियों से सहचर करते आ रहे हैं। यदि कोई इनके क्षेत्रों में अतिक्रमण करें तो ये सीधे–सादे आदिवासी भी उग्र हो उठते हैं। ये आदिवासी समुदाय जो सदियों से जंगलों में रहते आ रहे हैं। इन

जनजातियों में सामाजिक–आर्थिक विकास की कोई खास होड़ भी नहीं है, इसी कारण इस समुदाय में सदियों बाद भी विकासात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ये जनजाति अपने परिवार, समाज में ही खुश या सुखी–सम्पन्न है। ऐसा लगता है कि ये दूसरे समुदाय या समाज के लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं, और कोई समाजशास्त्री इसके बारे में अध्ययन करना चाहता है, तो ये अपने इतिहास के बारे में जानते ही नहीं हैं या अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं। वर्तमान में ये जनजाति अत्यंत पिछड़ी, गरीब, अभावग्रस्त और मुख्यधारा से विमुख है।

भारतीय समाज में किसानों, दलितों, स्त्रियों, आदिवासियों और जनजातियों का एक ऐसा विशाल समूह हमेशा से विद्धमान रहा है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और सरकारी योजनाओं से हमेशा से ही वंचित और विकास से विमुख रहा है। सरकार ने पहले तो इन वंचित समूहों के विकास हेतु कोई खास योजना ही नहीं बनाई और यदि वर्तमान में इन समूहों को मुख्य धारा से जोड़ने की योजना बनाई भी गई तो सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ ये समूह नहीं उठा पा रहे हैं।

मेरे शोध अध्ययन का विषय ''जनजातियों के विकास के लिए म.प्र. सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विश्लेषण'' (शिवपुरी जिले के पिछोर विकासखण्ड की सहरिया जनजाति के विशेष संदर्भ में) है।

विभिन्न ऐतिहासिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारतीय प्रजाति का विकास युगों युगों से होता आ रहा है। भारतीय संस्कृति के आधार – स्तम्भ द्रविण तथा आर्य सभ्यताएँ हैं, जिनके अद्भुत योग ने भारतीय प्रजातियों के मार्ग को प्रशस्त किया है। भारतीय संस्कृति सदैव विकासशील रही है। इस संस्कृति के विकासक्रम में विविध संस्कृतियों के संघर्ष, मिलन और सम्पर्क से परिवर्तन, परिवर्धन और आदान प्रदान होता रहा है। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय प्रजातियों का विकास अधिक हुआ है। **इतिहासवेत्ता डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी** का मत है कि आदि मानव का जन्म एवं विकास भारत के पंजाब और शिवालिक की ऊँची भूमि पर हुआ होगा। भूगर्भवेत्ताओं का मत है कि प्रारम्भिक समय में भारत, आस्ट्रेलिया, प्रशान्त महासागर के द्वीप और अफ्रीका एक ही बड़े विशाल महाद्वीप के अंग थे। सम्भव है इस भू भाग में

एक ही प्रजाति के आदि मानव रहते होगें जो महाद्वीप के विघटन के बाद अलग–अलग भू भाग में बंट गये। फलतः भारत के आदिमानव के चिन्ह् अन्य महाद्वीपों में भी मिलते हैं। भारत में हजारों वर्ष पूर्व से कई बाहरी प्रजातियाँ आती रहीं और इनका सम्मिश्रण होता रहा, इसलिए भारत के निवासियों में अनेक प्रकार की प्रजातियों के लक्षण मिलते हैं। यहां के निवासियों की शारीरिक बनावट वर्ण व भाषायी आदि भिन्नता होते हुए भी भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक एकता में बंधे हुए हैं। आदिवासी विकास की अवधारणा से जनजाति के संदर्भ में वनवासियों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। यद्पि जनजातियों के विकास का अध्ययन मानव जाति के विकास का ही अध्ययन है। ये प्राचीन जनजाति जिनकी अस्पष्ट भाषा व आधी–अधूरी जीवन–शैली है, ये जनजातियाँ छोटे झोपड़ों, कबीलों व जंगलों में निवास करती है। जिनका अपना कोई लिखा हुआ इतिहास नहीं है। सीधा–सरल जीवन–यापन इनकी विशेषता है। ये तीर–धनुष–भाले और कम पहने हुये कपड़ों से अपनी पहचान स्वयं बताते हैं। इनका खान–पान कंद–मूल व शिकार किये हुये पक्षी व जन्तु हैं। जादू–टोना, अंध–विश्वास, बलि आदि परम्परायें इन जनजातियों में आज भी कायम है। आर्थिक उपार्जन के लिए कोई निश्चित व्यवसाय नहीं है, कृषि, पशुपालन और मधुमक्खी के शहद इनके प्रमुख आर्थिकोपार्जन के साधन के रूप में विकसित हुए हैं। अनपढ़, अशिक्षित, अभावग्रस्त, रूढ़ीवादी से ग्रस्त ये आदिवासी आधुनिक सुविधाओं से दूर है। जो सम्भवतः सभी विकसित प्रजाति की मूल है।

सदियों से पिछड़ी ये आदिम जनजाति आज आधुनिकता की दौड़ से अत्यन्त दूर है। इन जनजातियों का आर्थिक–सामाजिक विकास के साथ–साथ राजनैतिक विकास भी आवश्यक हो गया है। राजनैतिक रूप से इन जनजातियों को आधुनिक समाज से जोड़ने के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान भी किये गये हैं। राज्य सरकार ने इन जनजातियों की विशेष पहचान कर एक अनुसूची का निर्माण किया है। ताकि इन वर्गो को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

भारत में 2001 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि देश में कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत आदिवासी हैं जिनकी जनसंख्या 83,326,24 है। आदिवासी देश के लगभग 19 प्रतिशत भाग में निवास कर रहे हैं जिनके लगभग 500 समुदाय है। म.प्र. में संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति

द्वारा 46 अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है जो इस प्रकार है– अगरिया, आन्ध्र, बैगा, भरिया, भामिया, भूमिया, पांडो, भूनिहार, पालिका, भतरा, बिअर, बियार, बिंझवार, बिरहुल, बिरहोर, दामोर, दामेरिया, धनवार, गड़ावा, गड़वर, भंहोला, भिम्मा, भता, कोइल भूता, कोईल भूटी, भार बाइसन, हार्न, माडिया, छोटा माडिया, हल्वा, कगार, कोरकू, कंवर, खड़िया, खेरवार, कोल, कोरकू मांझी, मवासी, मीणा आदि।

मध्यप्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या बहुतायत में पाई जाती है। ये जनजातियाँ प्रदेश के अनेक अंचलों जैसे मालवा, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड व महाकौशल में निवास करती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि क्षेत्रों से जुड़े होने के कारण इन प्रदेशों की भी कुछ जनजातियाँ सीमान्त क्षेत्रों में है।

मेरे शोध अध्ययन से सम्बन्धित सहरिया जनजाति का निवास, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, मुरैना, विदिशा एवं राजगढ़ है। पिछोर विकासखण्ड शिवपुरी जिले के सीमान्त भाग में स्थित है। सहरिया भारत की प्रमुख आदिम जनजातियों में से प्रमुख है। सहरिया शब्द मूल रूप से दो स्वतंत्र शब्दों का समायोजन है। जिसमें 'SA' का अर्थ 'साथी' एवं 'Hariy' का अर्थ शेर अर्थात् शेरों के साथी से है। सामान्यतः यह देखा गया है कि सहरिया जनजाति स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसे आधारभूत समस्याओं से ग्रसित है। सभ्य समाज में सबका विकास सामान्य रूप से होना आवश्यक है। फिर चाहे वह जनजाति आदिवासी या पिछड़ी जाति ही क्यों न हो? इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने सहरिया जनजाति की समस्याओं, विकास सम्बन्धी सरकारी योजनाओं तथा क्रियान्वयन आदि से सम्बन्धित बातों को शोध अध्ययन में शामिल किया है। इस शोध अध्ययन में शिवपुरी जिले के पिछोर विकासखण्ड में सहरिया जनजाति के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति तथा सरकारी योजना का विस्तृत विश्लेषण किया जायेगा। जो भविष्य में जनजाति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

परिचय

जनजाति से आशय –

भारतीय समाज में जनजाति से आशय वन्य जाति, आदिवासी, वनवासी, आदिमजाति, गिरिजन आदि से है। ये जनजाति ऐसे लोगों का समुदाय है जो आज भी जंगलों में निवास करते हैं। प्राकृतिक साधनों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आधुनिक सभ्य समाज से दूर रहते हैं तथा शिक्षा, कृषि, उद्योग–धन्धे आदि से अपरिचित है। भारत की जनगणना 1991 के अनुसार – ''ये अपने सीमित साधनों से केवल जीवित रहना ही सीख सके हैं और आज भी विज्ञान की इस चकाचौंध व सभ्यता की होड़ से अपरिचित ही है। ऐसे ही अपरिचित लोगों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुसूचित आदिमजाति या जनजाति (ट्रायबल) के अन्तर्गत किया गया है।''[1]

भारतीय इतिहास में आदिवासी समूह का वर्णन प्राचीन समय से मिलता है। डॉ. श्रीनाथ शर्मा के जनजातीय अध्ययन के अनुसार– ''भारतीय समाज में प्रौगेहासिक काल से लेकर आज तक आदि समूहों एवं वनवासियों का उल्लेख प्राप्त होता रहा है। वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल तथा महाकाव्य काल में जनजातियों के नाम भी उल्लेखित है। जनजाति या आदिम जाति अथवा आदिवासी 'ट्राईब्स' Tribes शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है।''[2] अंग्रेजी भाषा में ट्राइब शब्द का अर्थ कुटुम्ब है। राजनीतिशास्त्र में अविकसित समाज को ट्राइब्स कहते हैं। स्थान तथा काल के सम्बन्ध में भी ट्राइब शब्द भिन्न है जैसे, ''यूरोप में टुण्ड्रा प्रदेश के निवासी ऐस्किमों ही ट्राइब है तथा शेष दुनिया के लिये समग्र अफ्रीकी नीग्रो ही ट्राइब है। अर्थात् सिर्फ ताकतवर और विजेता ही है जो ट्राइब नहीं है।''[3]

भारतीय समाज में विभिन्न प्रजातियों का संगम हुआ है। यथा जब जनजातियों का अध्ययन किया जाता है तो यह शोधार्थी के समक्ष विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। कभी–कभी सभी आदिवासी को वनवासी

---

[1] सेन्सेस ऑफ इण्डिया – 1991 (मध्यप्रदेश पार्ट) स्पेशल टेबिल्स शेड्यूल ट्राइबर भोपाल (म.प्र.)
[2] शर्मा, डॉ. श्रीनाथ, जनजातीय समाज, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 2015, पृ.1
[3] शर्मा, डॉ. श्रीनाथ, जनजातीय समाज, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 2015, पृ.7

समझ लिया जाता है, जबकि इनकी कई पीढ़ी पहले से ही शहर में आकर बस गई है। और शहरी वातावरण के अनुकूल हो गई है। यद्पि इनकी वंशावली आदिम आदिवासी ही है और ये सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति में भी शामिल है। किन्तु इनका वास्तविक व्यवहार आदिवासी जनजाति से भिन्न है। वर्जीनियस खाखा के जनजातीय अध्ययन के अनुसार– ''भारत में जनजातियों की परिकल्पना मुख्य रूप से वृहद भारतीय समाज से उनके भौगोलिक और सामाजिक अलगाव के रूप में की जाती है। और इसमें उनके सामाजिक रूपान्तरण के चरण को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यही वजह है कि सामाजिक रूपान्तरण के विभिन्न स्तरों पर समूहों और समुदायों का एक विस्तृत दायरा जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस तथ्य को देखते हुए कि जनजातियाँ वृहत्तर भारतीय समाज से पृथक रहती रही हैं, अपने अधिवास के प्रदेश पर शासन में उनकी स्वायत्तता है। उनका भूमि, वन और अन्य संसाधनों पर नियंत्रण है और वे स्वयं के कानूनों, परंपराओं और रीति–रिवाजों से शासित है।''[1]

भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनजाति की अपनी विशिष्ट पहचान है। ये भौगोलिक रूप से निश्चित भू–भाग (जंगल, पहाड़, गुफाओं) आदि में निवास करते हैं। समाजशास्त्री इन्हें वंचित वर्ग, समूह या समुदाय द्वारा सम्बोधित करते हैं। हट्टन ने इन्हें आदिमजाति (प्रीमिटिव ट्राइब्स) नाम से सम्बोधित किया है। जी.एस. घुरिये ने इन जनजाति या आदिवासी समूह को ''पिछड़े हिन्दू'' कहा है। श्यामाचरण दुबे के अनुसार– ''वास्तव में जनजाति'' व्यक्तियों का एक वह समूह है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आवास या विचरण करता है। और जो किसी आदि पूर्वज को ही अपना उद्गम मानता हो तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है, और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से परे है।''[2]

जनजाति के संदर्भ में एक विचार यह भी है कि आर्यो के आगमन के पश्चात् जनजाति अपने समूहों को जंगलों में रखने के लिए बाध्य हुए। भारतीय समाज के प्रजातीय विश्लेषण से यह पता चलता है कि द्रविड़

[1] खाखा वर्जीनियस, योजना, संवैधानिक प्रावधान, कानून और जनजातियां,–जनवरी 2014, पृ. 7
[2] दुबे, श्यामाचरण, आदिवासी भारत, राजकमल प्रकाशन, देहली, पृ. 10–11

भारत की मूल प्रजाति है। और समय–समय पर आर्यो का संघर्ष, दास और असुर जाति के लोगों से हुआ था। सम्भवतः ये दास और असुर प्रजाति के समूह स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए घने जंगलों में चले गये और फिर ये कभी जंगलों से बाहर ही नहीं आ पाये और जंगलों को ही अपना निवास बना लिया जो वर्तमान में आदिवासी या जनजाति कहलाये। देश में प्रजातीय अध्ययनों की शुरूआत सर्वप्रथम 1890 में सर हरवर्ट रिजले द्वारा की गई। उनकी अपनी पुस्तक 'दी पीपुल्स ऑफ इण्डिया' सन् 1915 में प्रकाशित हुई जिसमें उन्होनें द्रविड़ को यहाँ की मूल प्रजाति माना है।

राल्फ लिण्टन के अनुसार ''सरलतम रूप में जनजाति एक ऐसा मानव समूह है, जो एक विशेष भू भाग पर रहता है, तथा जिसमें सांस्कृतिक समानता, निरन्तर सम्पर्क तथा कुछ विशेष हितों के कारण सामुदायिक एकता की भावना होती है एवं जिसका जीवन रीति रिवाज और व्यवहार के तौर तरीके आदिम अर्थात् आदिकालीन विशेषताओं से युक्त रहते हैं।''[1]

जे.एच.हट्टन ने भारत की जनजातियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रजातीय तत्वों का उल्लेख किया है –

1. **नीग्रिटो (Negrito) :–** ये यहाँ की सबसे प्राचीन प्रजाति है। भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती है। उत्तर–पूर्वी भारत की नागा जनजातियों में नीग्रिटो प्रजाति शामिल है।

2. **प्रोटो–आस्ट्रेलायड (Proto-Australoid) :–** हट्टन के अनुसार इस प्रजाति का शुरू रूप दक्षिण भारत की पहाड़ियों एवं जंगलों में निवास करने वाली जनजातियों में देखा जा सकता है। मध्यभारत की जनजातियों में गौंड़, बैगा, कोरकू, बिहार में छोटा नागपुर अंचल के आदिवासी जैसे मुण्डा, हो, संथाल, ओरांव प्रोटो–आस्ट्रेलायड ही है।

[1] कुमार ध्रुव डॉ. दीक्षित, समाजशास्त्र, अनुसूचित जनजाति, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर 2014, पृ. 2

3. मंगोलायड (Mangoloid) – इस प्रजाति के सर्वाधिक स्पष्ट लक्षण ब्रहमपुत्र के दक्षिणी तट पर निवास करने वाले नागा, आदिवासी समूह तथा कुकी–चिन आदिवासी समूहों में देखे जा सकते हैं।

भारतीय प्रजातियों में नीग्रिटी तत्व को समाजशास्त्री मजुमदार ने स्वीकार नहीं किया है। उन्होनें प्रोटो–आस्ट्रेलायड ही को भारत के प्राचीनतम जनजाति में स्वीकार किया है। मजुमदार और मदान के अनुसार ''चूंकि भारत में व्यापक, प्रजातीय सम्मिश्रण हुआ है, अतः निष्कर्षतः प्रजातीय दृष्टि से भारत की जनजातियों को किसी भी निश्चित प्रजाति–वर्ग में नहीं रखा जा सकता।''[1]

यह भी देखा जाता है कि विश्व के विभिन्न आदिवासी जनजातियों में रंग, आकार, कद, काठी, बाल आदि में अनेक समानता पाई जाती है, जो कि प्रजातीय सम्मिश्रण का परिणाम है। भारत की जनजातियों में विभिन्न प्रजातियों के तत्वों का समावेश पाया जाता है।

जनजाति सम्बन्धी परिभाषाएँ :–

इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार, ''जनजातीय परिवार या परिवारों का ऐसा समुदाय है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य बोली बोलते है, जो एक सामान्य भू–भाग पर रहने का दावा करता हो, और जो हमेशा अन्तर्विवाह नहीं करता, भले ही प्रारम्भकर्ता रहा हो।''[2]

मडौक के अनुसार ''यह एक सामाजिक समूह है, जिसकी एक अलग भाषा होती है तथा भिन्न संस्कृति एवं एक स्वतन्त्र राजनैतिक संगठन होता है।''[3]

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार ''स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी समूह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा

[1] शर्मा डॉ. श्रीनाथ, जनजातीय समाज, मध्यप्रदेश हिन्दी गंथ अकादमी भोपाल वर्ष 2015 पृ. 12
[2] दीक्षित कुमार डॉ. ध्रुव, समाजशास्त्र, अनुसूचित जनजाति, शिवलाला अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर पृ.3
[3] दीक्षित कुमार डॉ. ध्रुव, समाजशास्त्र, अनुसूचित जनजाति, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर पृ.3

बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं।''[1]

डॉ. मजूमदार के अनुसार ''एक जनजाति अनेक परिवारों के समूह का एक संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक निश्चित भू–भाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, और विवाह या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं, और एक निश्चित एवं उपयोगी आदान प्रदान का परस्पर विकास करते हैं।''[2]

रवीन्द्र नाथ मुकर्जी के अनुसार– ''एक जनजाति वह क्षेत्रीय समूह है, जो भू–भाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि विषयों में एक समानता के सूत्र में बंधा होता है।''[3]

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ''जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है, जो एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित भाषा, विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक संगठन रखता है।''

जनजाति की विशेषताएँ :–

1. **सामान्य भाषा :–** प्रत्येक जनजाति की अपनी एक भाषा होती है, जिसके माध्यम से ये अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ये जनजातियाँ प्रायः स्थानीय बोलियों का प्रयोग करती है।

2. **एक नाम –** प्रत्येक जनजाति अपने नाम से पहचानी जाती है। जनजाति के सदस्य अपने नाम से ही अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं। जैसे गोंड, बैगा, भील, संथाल, सहरिया आदि।

3. **निश्चित भू–भाग –** जनजाति एक निश्चित भू–भाग में निवास करती है। एक निश्चित भू–भाग में रहने के कारण ही जनजातियों में सामान्य जीवन की विशेषताएँ विकसित हो जाती हैं। निश्चित भू–भाग जनजातियों की विशिष्ट पहचान हैं। जैसे–बैगा जनजाति का बैगाचक

[1] जैन डॉ. पुखराज, भारत की सांस्कृतिक विरासत, पृ. 222–23
[2] जैन डॉ. पुखराज, भारत की सांस्कृतिक विरासत, पृ. 222–23
[3] दुबे श्यामाचरण, आदिवासी भारत, राजकमल, प्रकाशन देहली पृ.3

क्षेत्र, भारिया जनजाति का पातालकोट क्षेत्र, माडिया–मुरिया जनजाति का अबुझमाड़ क्षेत्र आदि।

4. सामान्य संस्कृति – प्रत्येक जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति से जानी जाती हैं। किन्तु एक ही जनजाति के सभी सदस्यों में एक सामान्य संस्कृति अर्थात प्रथाएँ, रीति–रिवाज, नृत्य, धर्म, खान–पान, रहन–सहन होता है।

5. परिवारों का एक समूह – सामान्यतः जनजातियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि प्रत्येक जनजाति एकसमान प्रजातीय तत्वों, एकसमान भाषा–संस्कृति वाले परिवारों का एक समूह है।

6. नातेदारी का महत्व – ये सामान्यतः अपनी प्रथा, परम्परा, विश्वास आदि नातेदारों तक ही सीमित रखते हैं।

7. अन्तर्विवाही समूह – जनजाति एक अन्तर्विवाही समूह है, प्रत्येक जनजाति इसका कड़ाई से पालन करते हैं।

8. राजनैतिक संगठन – प्रत्येक जनजाति का एक मुखिया होता है, जो अपने समाज की परम्पराओं का पालन कराने, नियंत्रण रखने एवं नियमों के उल्लंघन करने पर दण्ड की व्यवस्था करता है।

9. आर्थिक आत्मनिर्भरता – प्रत्येक जनजातीय समाज अपने आप में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर रहता है। अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को ये स्वयं ही पूरा कर लेते हैं। शिकार, वनोपज संग्रहण तथा कृषि के माध्यम से जनजातियाँ अपनी दैनिक आवश्यकताएँ स्वयं पूर्ण करती हैं।

10. सामान्य निषेध – जनजातियों में सामान्य निषेध के कारण ही खान–पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय के प्रतिबंध बने हैं।

मानवशास्त्री डी.एन. मजूमदार ने जनजातियों की विशेषताओं का निम्न प्रकार से वर्णन किया है –

1. भारत में जनजाति निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय समूह है।

2. एक जनजाति के सभी सदस्य एक दूसरे के नातेदार नहीं होते किन्तु प्रत्येक भारतीय जनजाति के अन्तर्गत नातेदारी एक सुदृढ़, सहचारी, नियामक और एकीकरण के सिद्धांत के रूप में कार्य करती है।

3. सामूहिक पैमाने पर अन्तर्जातीय संघर्ष भारतीय जनजातियों के कारण नहीं है।

4. राजनैतिक दृष्टि से भारतीय जनजातियाँ राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। किन्तु एक जनजाति का अपना निज स्वायत्त राजनैतिक संगठन होता है।[1]

अनुसूचित जनजाति :–

सामान्यतः जनजाति समूह अपनी विशिष्ट पहचान लिये हुये हैं। जो भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। ये भौगोलिक पृथ्थकरण और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण ही विकसित नहीं हो सके हैं। भारतीय जनजातियों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से विकसित करने के प्रयास स्वतंत्रता पूर्व से ही किये जा रहे हैं। और उन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था के लिये भारतीय जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया और तभी से ये सूचीबद्ध जनजातियाँ ही ''अनुसूचित जनजातियाँ (Scheduled Tribes)'' कहलाती है।

अनुसूचित शब्द अंग्रेजी भाषा के 'Scheduled' शब्द का हिन्दी अनुवाद है जिसका अर्थ सूची होता है अर्थात् अनुसूचित शब्द से तात्पर्य सूचीबद्ध करने से है। सन् 1950 में जनजातियों को भारतीय संविधान के आधार पर सूचीबद्ध करने के कारण ही अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) कहा गया। वर्ष 1950 में भारतीय समाज की 212 जनजातियों को सूचीबद्ध कर अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। समाजशास्त्री विमल पी.शाह ने 'Tribe Education' नामक पुस्तक में लिखा है कि, भारतीय संविधान ट्राईब (Tribe) शब्द की व्याख्या ही

[1] दीक्षित, कुमार डॉ. ध्रुव, समाजशास्त्र, अनुसूचित जनजाति शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर पृ.5

नहीं करता। इस संदर्भ में समस्त अधिकार राष्ट्रपति या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति को सौंप दिये गये हैं कि वे जिस समूह को ट्राईब मानें, उसे ही अनुसूचित जनजाति माना जाये।''[1]

वर्ष 1950 में 212 जनजातियों की जिस अनुसूची को तैयार कर अनुसूचित जनजातीय आदेश–1950 लागू किया गया था, वही सूची आज भी कार्य कर रही है। और इसी के आधार पर संवैधानिक संरक्षण प्राप्त कर इन जनजातियों के सदस्य विकसित हो रहे हैं।

भारतीय जनजाति के भौगोलिक वितरण –

जनजातियों की निवासीय स्थिति

क्र.	निवासीय क्षेत्र	जनजातियाँ
1.	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	• सिक्किम की लेपचा जनजाति • असम की रामा, मेचा, काछारी एवं मिकिर जनजाति • मेघालय की गारो और खासी जनजाति • अरूणाचल की आका, दाफला एवं भरी जनजाति • नागालैण्ड की कोन्यक, रंगपात, रोमा, आगामी, चंग और रेम जनजातियाँ
2.	मध्यक्षेत्र	• सबरा, उराब, गड़बा, बोपड़ों, हो, संथाल, मुण्डा, विरहोर, खरिया बेगा जनजातियाँ • बस्तर की मुरिया और माड़िया गौण्ड, कोल, कोरकू जनजाति • ग्वालियर की सहरिया जनजाति
3.	दक्षिणी क्षेत्र	• चेंचू टोड़ा, कोटा, पनियन, ईरूला, माला (भील एवं भिलाला जनजाति)

[1] दीक्षित, कुमार डॉ. ध्रुव, समाजशास्त्र, अनुसूचित जनजाति शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर पृ.5–6

		• अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी, ओंग, जाघरा, शाम्पेन एवं अण्डमानी जनजातियाँ
4.	पश्चिमी क्षेत्र	• भील, खासा जनजाति[1]

मध्यप्रदेश में जनजातियों का वितरण –

क्र.	जनजाति का नाम	उपसमूह (उप–जनजाति)	जिले
1.	गोंड़	प्रधान, अगरिया, ओझा, नगरची, सोल्हाँस	म.प्र. के सभी जिलों नर्मदा के दोनों किनारों विन्ध्य सतपुड़ा
2.	भील	बरेला, भिलाला, पटेलिया	धार, झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर
3.	बैगा	बिझवार, नरेटिया, नाहर, राय भैना, कथ भैना	मण्डला, बालाघाट
4.	कोरकू	मवेसिरूया, नाहला बाबरी बोदोयन	खण्डवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बेतूल, छिंदवाड़ा
5.	भारिया	भूटिया, मुइनहार, पाण्डो	छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट
6.	हल्ला	हल्बी, बस्तरिया एवं छत्तीसगढ़िया	बालाघाट
7.	कोल	श्रोहिया, रॉथेल	रीवा, सतना, शहडोल, छिंदवाड़ा
8.	मारिया	अबूझमारिया, दण्डिभी, भारिया मेटाकोयटूर	पन्ना, शहडोल, छिंदवाड़ा
9.	सहरिया		गुना, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, विदिशा एवं राजगढ़[2]

[1] गुप्ता डॉ. मंजू, जनजातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली 2007, पृ.–3
[2] शर्मा डॉ. श्रीवास, जनजातीय समाज, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल वर्ष 2015 पृ. 19

भारत के प्रमुख राज्यों में कुल आदिवासी जनसंख्या – 2011
(जनगणना के अनुसार)

क्र.	राज्य का नाम संघ शासित राज्य	जनसंख्या	पुरूष	महिला	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति (पुरूष)	अनुसूचित जनजाति (महिला)
1.	जम्बू व कश्मीर	12541302	6640662	5900640	1493299	776257	717042
2.	उत्तराखण्ड	10086292	5137773	4948519	291903	148669	143234
3.	राजस्थान	68548437	35550997	32997440	9238534	4742943	4495591
4.	उत्तरप्रदेश	199812341	104480510	95331831	1134273	581083	553190
5.	बिहार	104099452	54278157	49821295	1336573	682516	654057
6.	पश्चिम बंगाल	91276115	46809027	44467088	5296953	2649974	2646979
7.	झारखण्ड	32988134	16930315	16057819	8645042	4315407	4329635
8.	छत्तीसगढ़	25545198	12832895	12712303	7822902	3873191	3949711
9.	मध्यप्रदेश	72626809	37612306	35014503	15316784	7719404	7597380
10.	महाराष्ट्र	112374333	58243056	54131277	10510213	5315025	5195188
11	सम्पूर्ण भारत	1210569573	623121843	587447730	104281034	52409823	51871211

संदर्भ – (भारत की जनगणना – 2011)

भारत के प्रमुख राज्यों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या लिंग के अनुसार 2011

क्र.	भारत/राज्य संघ शासित प्रदेश	योग	अनुसूचित जनजाति 2011				
			पुरूष		योग	महिला	
			ग्रामीण	शहरी		ग्रामीण	शहरी
1.	जन्मू और कश्मीर	776257	730075	46182	717012	676758	60284
2.	उत्तराखण्ड	148669	134691	13978	143234	130128	13106
3	राजस्थान	4742943	4454816	288127	4495591	4238307	257254
4	उत्तरप्रदेश	581083	526315	54768	553190	504761	48429
5	बिहार	682516	648535	33981	654057	622316	31741
6	पश्चिम बंगाल	2649974	2428057	221917	2646979	2427058	219921
7	झारख्ण्ड	4315407	3728323	387084	4329635	3939827	389808
8	छत्तीसगढ़	3878191	3577134	296057	3949711	3653948	295763
9	मध्यप्रदेश	7719404	7187769	531635	7597380	7089105	508275
10	महाराष्ट्र	5315025	4540456	774569	5195188	4465621	729567
	सम्पूर्ण भारत	52409823	47126341	283482	51871211	46692821	178390

संदर्भ – भारत की जनगणना – 2011

अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का निवास के आधार पर राज्यवार लिंगानुपात (2001–2011)

क्र.	भारत/राज्य संघ शासित राज्य	2001 लिंग अनुपात			2011 लिंग अनुपात		
		योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी
1	जम्मू और कश्मीर	910	916	799	924	927	872
2	उत्तराखण्ड	950	956	867	963	966	938
3	राजस्थान	944	950	851	948	951	893
4	उत्तरप्रदेश	934	945	850	952	959	884
5	बिहार	929	934	839	958	960	934
6	पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1000	991
7	झाारखण्ड	987	989	965	1003	1003	1007
8	छत्तीसगढ़	1013	1017	941	1020	1021	999
9	मध्यप्रदेश	975	979	912	984	986	956
10	महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
	सम्पूर्ण भारत	978	981	944	990	891	980

संदर्भ – भारत की जनगणना – 2011

प्रमुख राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2001–11

क्र.	भारत/राज्य संघ शासित राज्य	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 2001			अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 2011		
		योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी
1	जम्मू और कश्मीर	10.9	13.8	2.0	11.9	15.4	2.5
2	उत्तराखण्ड	3	3.8	0.7	2.9	3.8	0.9
3	राजस्थान	12.6	15.5	2.9	13.5	16.9	3.2
4	उत्तरप्रदेश	0.1	0.1	0	0.6	0.7	0.2
5	बिहार	0.9	1.0	0.5	1.3	1.4	0.6
6	पश्चिम बंगाल	5.5	7.2	1.2	5.8	7.8	1.5
7	झाारखण्ड	26.3	31	9.8	26.2	31.4	9.8
8	छत्तीसगढ़	31.8	37.6	8.4	30.6	36.9	10
9	मध्यप्रदेश	20.3	25.8	4.9	21.1	27.2	5.2
10	महाराष्ट्र	8.9	13.4	2.7	9.4	14.6	5.2
	सम्पूर्ण भारत	8.2	10.4	2.4	8.6	11.3	2.8

संदर्भ – भारत की जनगणना – 2011

जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर (1881–2011)

क्र.	जनगणना दशक	जनजाति जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1	1881	6426511	–	2.57
2	1891	9112018	41.78	3.26
3	1901	8584148	–9.42	2.88
4	1911	10295165	19.93	3.17
5	1921	9775000	–9.42	2.97
6	1931	8280000	–8.47	2.26
7	1941	25441489	12.5	2.26
8	1951	19116498	–7.51	5.03
9	1961	29878924	56.29	6.87
10	1971	38015162	27.22	6.90
11	1981	51628638	35.81	7.85
12	1991	67758380	31.24	8.08
13	2001	84326440	24.25	8.20
14	2011	104281034	23.7	8.60

संदर्भ – भारत की जनगणना – 2011

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन् 1881 से 2011 की विभिन्न जनगणनाओं में हर दस वर्ष में जनजाति जनसंख्या में विशेष वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 1901, 1921, 1931 और 1951 में जनसंख्या में कमी हुई है बाकी वर्षों में वृद्धि भी हुई है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ मध्यप्रदेश में ही निवास करती हैं। इसलिए भारत को विभिन्न ''जनजातियों का अजायबघर'' और मध्यप्रदेश को ''जनजातियों का घौंसला'' कहा जाता है। सामान्यतः मध्यप्रदेश में बसी जनजातियों के नाम जनसंख्या की अधिकता का क्रम–गौड़, भील, कोल, कमार, उरांव सहरिया है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से सहरिया जनजाति का क्रम छटवाँ है।

सहरिया जनजाति :–

सहरिया जनजाति मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इनका समुचित विकास करना म.प्र. सरकार की प्रमुखता है। सहरिया मूलतः म.प्र., राज्य के गुना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर, मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, सागर, दमोह, विदिशा, टीकमगढ़ एवं छतरपुर में निवासरत् है। सहरिया भारत की प्रमुख आदिम जनजातियों (Primitive Tribe) में आते हैं।

''सहरिया'' का अर्थ ''बाघ का साथी'' से है। ये वर्षों से जंगलों में रहते हुये जंगली जानवरों के सहचर हो गये हैं। ये आज भी रास्ते के लिये पक्की सड़कों का प्रयोग नहीं करते हैं, तथा झुंड में ही दिखाई देते हैं। सहरिया जनजाति सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुये हैं। जीवन स्तर में प्राचीन परम्पराओं, आदिम प्रवृत्तियों का सहज दृश्यमान है। शैक्षणिक, स्वास्थ्य, आवास का लगभग पूर्णतः अभाव है। कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है। सहरिया मूलतः एक ऐसी जनजाति है जो जंगलों पर निर्भर है। इसी कारण से ये लोग आज भी मूल रूप से अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन, शिकार एवं पशुपालन द्वारा करते हैं। खेती भी प्राचीन कृषि व्यवस्था पर ही आधारित है। विकास के दौर में बढ़ते औद्योगीकरण एवं घटते जंगलों के कारण सहरिया जनजाति को अपने जीवन निर्वाह के लिये सतत् संघर्षशील होना पड़ रहा है। डी.एन. मजुमदार के अनुसार – ''मध्यप्रदेश में ''सहरियों'' को अनुसूचित जनजाति ही माना गया है। साथ ही राजस्थान में भी सहरिया अनुसूचित जनजाति ही है किन्तु उत्तरप्रदेश में इन्हें अनुसूचित जाति माना गया है।''[1] संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश 1950 के अनुसार सम्पूर्ण मध्यभारत (अब मध्यप्रदेश के अन्तर्गत है) में सहरिया को जनजाति माना गया है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1951 (पार्ट–2) में सहरिया सोसिआ और सोर को अनुसूचित जनजातियों में रखा गया है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची आशोधन आदेश 1956

[1] मजुमदार डी.एन., रेस एण्ड कल्चर ऑफ इंडिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस बाम्बे 1958 पृ. 355

The scheduled castes and scheduled tribes lists (modification order 1956) The scheduled part VI मध्यप्रदेश में सहरिया को जनजाति माना गया है।

विभिन्न शोध अध्ययन (जनजाति) से यह पता चलता है, कि सहरिया जनजाति (मध्यप्रदेश) अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में है। शहरी भौतिकवादी बदलाव से सहरिया जनजाति भी प्रभावित है। अन्य आदिवासी जनजाति की तरह भी ये जनजाति अपनी आदिम पहचान खो रही है। सहरिया जनजाति में अपनी निजि बोली, इतिहास, संस्कृति का अभाव है। ये अपने आपको प्रथम ''आदिवासी'' कहते हैं किन्तु इनमें अन्य आदिवासी जनजाति की तरह स्वाभिमान और गौरव दिखाई नहीं पड़ता है। ये प्रायः अपने आपको निम्न जाति का मानकर दूसरे समुदाय से अलग रहना पसंद करते हैं।

जंगलों के विनाश के कारण सहरिया जनजाति अपने मूल निवास से दूर होती जा रही है। आर्थिक विपन्नता के कारण ये मजदूरी करने को मजबूर हैं, इन्हें मजदूरी के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं आता है। सहरिया जनजाति के लोगों ने अपनी कोई खास पहचान भी नहीं बनाई है। इनके बनाये कोई खास उपकरण भी नहीं है जो इनको सभ्य समाज में नई पहचान दिला सकें। ये सुस्त, लाचार, बेबस लोगों का समूह नजर आता है। जिनका जीवन–स्तर सिर्फ भोजन तक सीमित है। जिससे इनकी पहचान ही नहीं बल्कि अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लग गये हैं।

उत्तरप्रदेश के सहरिया लोगों के सम्बन्ध में टर्नर ने लिखा है कि ''यहाँ ये पूरी तरह से अपने जनजातीय लक्षणों को त्यागकर जाति के रूप में बदल गये हैं। इन्हें अहीर, चमार, गडेरिया, तथा भंगियों जैसे निम्न जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। व्यापक हिन्दू जाति व्यवस्था के फैलाव में इनका पारम्परिक व्यवसाय और स्थान पूरी तरह से समाहित हो गया है।''[1] सहरिया जनजाति अपने आप में सामाजिक परिवर्तन चाहती है क्योंकि जंगलों के कम होने से इनकी जंगलों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है। अब जो सहरिया शहरों या शहरों के आस पास आकर बस गये हैं वे अब वापस जंगलों में लोटना नहीं

[1] भटनागर एस.के., गाधेर, ए. विलेज सर्वे, सेंसस ऑफ इण्डिया 1961, 1968 पृ.4

चाहते हैं। इसके बदले ये निम्न काम करने को तैयार है। सहरिया जनजाति के प्रति लोगों ने आम धारणा यह भी बना रखी है कि जब तक सहरिया को खाने को मिलते रहे ये काम नहीं करते। निश्चित तौर पर ये सहरिया लोग काम के प्रति अरूचिकर होते हैं, यदि भोजन मिल जाये तो कर्म के प्रति प्रयासरत नहीं होते हैं।

आदिवासी जनजाति के अध्ययन से जनरल कनिंघम ने यह पाया कि किसी समय प्रभावशाली शासक के रूप में प्रतिष्ठित सवर, सहरा, सौरों, सहरिया जनजाति गोंडों से युद्ध में पराजित होकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो दी। तथा बाद में ये दर दर भटकने के लिये मजबूर हो गये। जनरल कनिंघम लिखते हैं वास्तव में विश्वास पूर्वक यह कहा जा सकता है कि पूर्व में सवर विशाल कोलारियन परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, और उनकी शक्ति बाद के समय में क्षीण होती गयी। जब उत्तर और पूर्व में अन्य कोलारियन जनजातियों एवं दक्षिण में गोंडों ने इनके आधिपत्य को प्रभावित किया। सहरिया कोलारियन परिवार से पृथक होने के बावजूद अपनी आदिम और जंगली पहचान को बनाई रखी है।

सहरिया जनजाति उत्पत्ति सम्बन्धी विचार :–

सहरिया जनजाति के उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई एक निश्चित विचारधारा उपलब्ध नहीं है। पुराणों और लोक कथाओं में ही इनकी जानकारी प्राप्त होती है, जिसका कोई सटीक वैज्ञानिक आधार भी नजर नहीं आता है। सहरिया जनजाति के लोगों के पास स्वयं का कोई लिखित इतिहास नहीं है। इनके बुजुर्गो को जो जानकारी है वो भी अपुष्ट अधुरी है।

प्रो. सी.एस. बेनकेश्वर के अनुसार – ''सेहर व अन्य वन्य जातियों भारत के पश्चिमी इलाकों से होकर आयी हैं, बहुत समय पूर्व जब यूरोपीय महाद्वीप से बर्फ ऊधर की ओर छटी तो सहारा जलवायु की पेटी आगे की ओर खिसकी और सहारा बहुत सारा घास का मैदान मरू भूमि में परिणित हुआ। इससे प्रदेश के जंगली पशु शरण की खोज में आगे बढ़े। उन पशुओं के पीछे शिकारी रूप में इन जनजातियों ने भी प्रवेश किया। कुछ नील प्रदेश की ओर बढ़े और

कुछ विध्य पर्वत की ओर। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों के साथ साथ दक्षिणी भारत तक इन जनजातियों का फैलाव हुआ। यह जनजातियाँ अपने धनुष बाण की सहायता से शिकार करके एवं कंदमूल फल एकत्रित करके गुजारा करती थीं। इन जातियों को प्रोटोमेडिटेरियन में गिना जा सकता है। इन जातियों ने प्री–ड्रेविडिन जनजाति को जीता और बाद में उसी से मिल गई। जिन जातियों में नीग्रिटो तत्व पाये जाते हैं। वह मध्य भारत में पायी जाने वाली जनजातियां बेगा कोल सहरिया सोना कोर्ट तथा भील हैं।''[1] किन्तु कुछ विद्वानों जिसमें प्रो. बनर्जी प्रमुख हैं ने सहरियों को जन्म स्वदेशी जनजाति के रूप में माना है।

मध्यप्रदेश की 1961 की जनगणना के समय किये गये सहरिया ग्राम गाधेर में उत्पत्ति सम्बन्ध सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन में एक सहरिया वृद्ध से अभिलिखित एक किंदवन्ती के अनुसार – ''संसार के रचयिता ब्रहमा ने संसार की रचना के समय सभी जाति के लोगों के लिए स्थान निश्चित किया। सबसे पहले उन्होनें सहरिया की रचना की और उसे इस निश्चित स्थान के बीचों बीच बैठाया। यह अत्यन्त सरल व्यक्ति था। जैसे–जैसे ब्रहमा ने अन्य जातियों के लोगों को बनाया, वे सहरिया के पास आकर बैठने की कोशिश करने लगे। इस कोशिश में वे सहरिया को परे खिसकाते गये। अपने स्वभाव के कारण वह खिसकता चला गया। जब अंतिम जातियों के निर्माण तक एक ऐसी स्थिति आई कि बेचारा सहरिया एकदम खूँट अर्थात् सिरे तक पहुँच गया। ब्रह्मा ने जब निरीक्षण के समय सहरिया को एकदम सिरे पर पाया तो पूछा कि उसे जब बीच में बैठाया गया था तो वह सिरे पर कैसे पहुँच गया? इस पर ब्रह्मा नाराज हुये और कहा कि वह लोगों के साथ रहने लायक नहीं है और श्राप दिया कि वह मनुष्यों की भीड़–भाड़ से अलग रहकर एकान्त और जंगल में ही बसेगा।''[2]

लोक कथाओं और पुराणों से भी सहरिया जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक धारणा यह भी है कि सहरिया जनजाति के लोग बाल्मीकि को अपना प्रथम पितृ पुरूष मानते हैं। सहरिया

[1] Census of India 1961 Vol III No. 10 village survey
[2] भटनागर एस.के. गाधेर, ए. विलेज सर्वे, सेंसस ऑफ इण्डिया 1961 प्रकाशित 1968

लोग स्वयं को बाल्मीकि की संतान के रूप में देखते हैं। इनका मानना है कि वाल्मीकि भील जाति के थे अतः वे भीलों के सहोदर है। राजस्थान के कोटा जिले की शाहबाद तहसील की सीताबाड़ी में सहरिया आदिवासियों का विशाल मेला लगता है जहाँ पर स्थित वाल्मीकि मंदिर पर सैकड़ों सहरिया दर्शन करने पहुँचते हैं।

एक अन्य लोक कथा के अनुसार सहरिया तथा भील दो सगी बहनों की संतान है। बड़ी बहन (भीलनी) से उत्पन्न संतान भील तथा छोटी बहन सेरिया से उत्पन्न संतान सहरिया कहलाई। सहरिया अपना मूल स्थान मालवा तथा भीलों का मूल स्थान ''भीलवाड़ा'' बताते हैं।

सहरिया शबरी से भी अपनी उत्पत्ति बताते हैं। सहरिया सौरीं (शबरी भीलनी) से उत्पन्न होने के कारण शबर, सबर, सौर और सहरिया कहलाये। गाधेर, सर्वे के अनुसार सहरिया और भील एक ही पिता की सन्तान थे। समय पाकर दोनों अपनी जीविका के लिये अलग अलग चले और फिर कभी एक नहीं हो पाये। भीलों को सहरिया आज भी अपना बड़ा भाई मानते हैं। परन्तु एक संस्कृति में पले बढ़े सहरिया भीलों से कब अलग हो गये, इसके बारे में निश्चित कहना मुश्किल है। एक अन्य वितरण के अनुसार निषाद और लवकुश से भी सहरिया अपना सम्बन्ध बताते हैं। बनवासी राम ने शबर कोल किरातों की सेना बनाकर सहायता ली थी।[1]

लोक कथाओं और किदवंतियों से स्पष्ट होता है कि सहरिया जंगल में रहने वाला एक जनजाति समुदाय है। शब्द व्युत्पत्ति में सा का तात्पर्य सहचर तथा हरिया का अर्थ शेर है। अर्थात शेर का सहचर जो सहरिया के लिये उपर्युक्त शब्द है।

श्री गौंड का मानना है कि सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी के सहर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल। जंगल में रहने के कारण ही इनको सहरिया कहा गया है। शेरशाह सूरी ने शाहाबाद के दुर्गम दुर्ग का निर्माण उनके परिश्रम से ही करवाया था। शेरशाह ने सहरिया के कठोर श्रम तथा निष्ठा की प्रशंसा की है। यह जाति एकदम जंगली

[1] निरगुणे बसंत, सहरिया, मध्यप्रदेश आदिवासी लोककला परिषद भोपाल का प्रकाशन 2001–2002 पृ.8

होने तथा गोंद, चिरौंजी व वनों से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं को विक्रय करने वाली बताया है।

जनरल कंनिघम के अनुसार – सहरिया सौर या सबर है, और यह सजातीय सीथियन शब्द के करीब है। जिसका अर्थ कुल्हाड़ी होता है। सहरिया जाति के लोग हमेशा अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर चलते हैं जो इनकी स्थानीय पहचान बन गई है।

सहरिया उत्पत्ति सम्बन्धी कथाओं पुराण लोक तथा विचारों से यह स्पष्ट होता है कि सौर, संवर, सवरा, सहरा आदि नाम सहरिया जनजाति का प्राचीन नाम है। यह एक आदिम जनजाति है, जो जंगली जड़ी बूटी की अच्छी पहचान रखते हैं। यह जनजाति समूह में अपना जीवन यापन करते हैं। आज वर्तमान में जंगलों की विरलता के कारण इनका भौतिक जीवन प्रभावित हुआ है। अपनी विरासत को छोड़कर ये अर्थिकोपार्जन हेतु कृषि मजदूर के रूप में अवतरित हो रहे हैं। जंगल से दूर हो जाने के कारण स्वास्थ्य हेतु स्वयं की जड़ी बूटी का प्रयोग न कर पाने से स्वास्थ्य निरन्तर गिरता जा रहा है। ये आज भी डाक्टरों से इलाज करवाने से डरते हैं। निरक्षता होने के कारण साहूकार, ठेकेदारों की शोषण प्रवृत्ति का शिकार बने हुये है। अशिक्षा, रोग, कुपोषण और अभाव इनकी नियति बन गई है। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को 'प्रीमिटिव जनजाति' माना है।

सहरिया जनजाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

सहरिया जनजाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं है। कनिंघम ने सहरियाओं को सौर या सबर माना है, और सजातीय सीथियन शब्द से इसका अर्थ कुल्हाड़ी से होता है। गार्डन ने ''आर्यो और द्रविड़ों से पूर्व भारतवासियों में मुंडा, कोल, हो, शबर, भुइयस, भील, कोर्कु तथा कुरम्बस इत्यादि का गौरव के साथ नामोल्लेख किया है।''[1]

भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में आर्यो के प्रवेश से पूर्व और आर्यावर्त नामकरण के पूर्व ये जनजातियाँ जो आदिवासियों को अपने से बढ़कर मानती थीं यहां के असली भू स्वामी थे। ये जनजातियाँ

[1] गुप्त डा. जगदीश प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला पृ. ३३

आदिवासियों को सीरमोद अथवा सेहरा का तात्पर्य सायरा (Siara) था। कालान्तर में यह सम्बोधन आम हो गया। ''आर्यों के सुप्रसिद्ध राजा राम ने इन आदिवासियों अथवा सेहरा लोगों से बंधुत्व स्थापित किया। राजाराम के प्रभाव में वे आर्य सामाजिक राज के एक अभिन्न अंग बन गए। इस पारस्परिक सम्बन्ध के कारण सेहरा लोगों को नया नाम सेहरा प्राप्त हुआ। सेहरा से सेह तथा आर्यों के सम्पूर्ण आर्य शब्द को मिलाकर सेहरया शब्द बना, जिसका अर्थ आर्यों के सहयोगी हुआ। यही सेहरिया शब्द कालान्तर में स्थान भेदी के साथ सहरिया, सेहरिया अथवा सहरिया नाम उच्चारित होने लगा।''[1]

डॉ. गिडुगुवेंकट सीतापति जो तेलगु भाषा के मान्य विद्वान हैं – ने जीवनव्यापी शोध और शबर जाति के निकट सम्बन्ध के आधार पर प्रमाणित किया है कि ''अथर्ववेद में सम्मिलित अनेक अभिचर परक मंत्र शबर भाषा के हैं।''[2]

एक अन्य विवरण के अनुसार राजस्थान के श्री रामस्वरूप जोशी द्वारा लिखित राजस्थान दिवस पर प्रकाशित सहरियों का नया जीवन लेख में कहा गया है, कि सहरिया जनजाति का नाम सहरिया मुगल शासन काल में पड़ा। ऐसी मान्यता है कि फारसी में जंगल को सहरा कहते हैं और यह जाति युगों से जंगल में निवास करती आई है, इसलिए जंगलों में निवास करने वाले सहरिया के नाम से पुकारे जाने लगें।''[3]

सबर शब्द का भाषा वैज्ञानिक उद्भव खोजते हुए जनरल कनिंघम इसका उत्स आर्य भाषा के बाहर खोजते हैं। संस्कृत में सबरा का अर्थ फसल होता है। हेरोडोटस के अनुसार कुल्हाड़ी के लिए सीथियन भाषा में सगारिक शब्द प्रयुक्त हुआ है। 'ग' और 'ब' की परस्पर विस्थान प्रवृत्ति को देखते हुए ''सगारिस'' से सगर और उसके बाद सबर की उत्पत्ति हुई मानी जा सकती है। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इस जनजाति का नाम कुल्हाड़ी लेकर चलने के कारण ही पड़ा। यह सबर लोगों की विशिष्टता भी है कि कोई भी सबर कुल्हाड़ी

[1] गाधेर, ए. विलेज सर्वे सेंसस ऑफ इण्डिया 1961
[2] गुप्ता डा. जगदीश प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला म.प्र. ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ.10
[3] जोशी, रामस्वरूप, सहरियों का नया जीवन, राजस्थान दिवस पर प्रकाशित लेख से पृ. 35

के बिना यदाकदा ही दिखता है और यह विशिष्टता सभी के द्वारा बहुतायत से देखी गयी है, जिन्होनें भी इन्हें देखा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सहरिया शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार लोक कथाओं और विचारकों ने इस जनजाति के बारे में विभिन्न निष्कर्ष निकाले हैं। वास्तव में सहरिया शब्द का अर्थ शेर का साथी और कुल्हाड़ी लेकर चलने वाले के निकट अधिक पाया गया है। ये जनजाति समूहों में रखकर आज भी अपनी आदिम प्रवृत्ति का परिचय देती है।

सहरिया जनजाति की भौतिक संरचना :–

वर्तमान में सहरिया जनजाति के लोग ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, मुरैना के क्षेत्र में ज्यादा निवासरत है। सहरियाओं को खुंटिया पटेल, राउत या रावत के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। इन नामों के सम्बोधन से ये अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। ''रसेल एवं हीरालाल ने भी सहरियों के खूंटिया और रावत या राउत सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया है।''[1]

विभिन्न शोध अध्ययन और अनुसंधान से प्राप्त प्रमाण से ज्ञात होता है कि सहरिया कोलारियन मुण्डा परिवार के सदस्य रहे हैं। निरन्तर परिवर्तन से ये जनजाति अपनी मूल पहचान को बचाने में असमर्थ सिद्ध हो रही है।

सामान्यतः सहरिया किसी गाँव या शहर के आस पास पृथक समूह बनाकर रहना पसन्द करते हैं। जंगलों में ऊँची पहाड़ियों की बजाय समतल मैदानी भागों में परम्परागत रूप से समूहों के मकान बनाकर रहते हैं। कभी कभी ये पहाड़ों पर भी मकान बना लेते हैं। मकानों के बसाहट तीन ओर से अंग्रेजी के उल्टे यू (∩) आकार में होती है। एक ओर से आने जाने का रास्ता हेाता है। बीच में चोंक होता है, जिसमें बंगला यानी अतिथि घर होता है। इनके गांव की बसाहट का कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता है। बसाहट को ही सहराना कहा

[1] रसेल और हीरालाल द ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स ऑफ द सेन्ट्रल प्राविन्सेस आफ इंडिया

जाता है। सहराना के बीच एक बड़ा मकान होता है। इसे बंगला कहा जाता है। इसमें जाति पंचायत की बैठक आयोजन भी किया जाता है।

डॉ. नायक ने सहरियाओं के निवास के बारे में लिखा है कि – ''सहरिया गाँव सामान्यतः समतल भूमि पर बसे होते हैं। गांव जंगल पहाड़ियों और घाटियों से घिरा होता है। कुछ सहरिया गाँव पहाड़ियों पर भी बसे होते हैं। साधारणतः घर आमने सामने पंक्तिबद्ध चौकोर शैली में बसे होते हैं, जिसे सहराना के नाम से जाना जाता है।''[1] घर में साधारण सामान ही रखे जाते हैं – जैसे बाँस की टोकरी, सूपा, लकड़ी का मूसल, अनाज पीसने की चक्की, कुल्हाड़ी, हसिया, थाली, लोटा–गिलास, कटोर, एल्यूमीनियम के बर्तन आदि। सहरिया स्त्रियाँ गहनों की शौकीन होती हैं। ये सिर पर चाँदी के झोला या राखड़ी, नाक में नथ, कानों में झुमके पहनती हैं, जो चांदी या पीतल के बने होते हैं। हाथ में पीतल या लाख का चूड़ा पहनती है। महिलायें प्रायः अपने शरीर में गोदना गुदवाती हैं, जो विभिन्न आकार के होते हैं।

सहरिया जनजाति का मुख्य भोजन ज्वार, मक्का, गेहूँ, बाजरा है। जो इसकी मोटी रोटी या चपाती बनाते हैं। ये जनजाति महुआ को उबाल कर खाने के भी शौकीन होते हैं। ये माँस, मछली, मुर्गी, अण्डे या शिकार किये गये जानवरों के माँस भी खाते हैं। धुम्रपान के लिए बीड़ी का प्रयोग किया जाता है, त्यौहार, उत्सव व शादी ब्याह के समय महुये से बनी शराब पीते हैं। डॉ. टी.बी. नायक के अनुसार – ''प्राकृतिक रूप से उगने वाले कंद, मूल, फल, हरी पत्तियाँ खाने का सहरियाओं का सबसे प्रिय शौक है। वनस्पतियों का विस्तृत ज्ञान प्रत्येक सहरिया को पुरखों से विरासत में मिला है।''[2]

सहरियाओं का जीवन स्तर अत्यंत साधारण है। भौतिक साधनों का अभाव है, अथवा इसके प्रयोग से अनभिज्ञ है। पोष्टिक भोजन की कमी से एवं शारीरिक स्वच्छता के अभाव के कारण विभिन्न बीमारियों व रोगों से ग्रसित रहते हैं। अंध विश्वास व जादू टोनों के कारण इलाज के अभाव में अकाल मृत्यु से भी ग्रसित है। सामान्यतः

[1] नायक टी.डा.ली. द सहरिया पृ. 6
[2] नायक टी. डॉ.बी., द सहरिया, पृ. 12

सहरियाओं को तन ढकने के लिये वर्ष में एक जोड़ी कपड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। डॉ. टी.बी. नायक के अनुसार– ''सहरिया स्त्री–पुरूष नियमित रूप से नहीं नहाते हैं, और न ही अपने कपड़ों को धोने की कभी परवाह करते हैं, जो उनके पास बहुत थोड़े होते हैं।''[1]

सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक परिदृश्य –

परिवार –

परिवार एक आधारभूत सामाजिक संगठन है। संतान के जन्म से लेकर मृत्यु तक के उत्तरदायित्व परिवार में ही पूर्ण होते हैं। परिवार का मुख्य लक्ष्य रक्त समूहों की सुरक्षा करना तथा संतानोत्पत्ति है। परिवार में ही शिशु का जन्म और पालन पोषण होता है। परिवार मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। सामान्यतः सहरिया जनजाति के लोग एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। सहरिया में जब किसी लड़के की शादी होती है, तो घर के बगल में ही दूसरी झोपड़ी बना दी जाती है, जिससे पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं।

भानु व्यास उदय के अनुसार – ''सहरिया जनजाति के लोग बहु–विवाही होते हैं। अकेले एक सहरिया पुरूष की दो तीन पत्नियां हो सकती हैं। अर्थात् एक से अधिक पत्नियां होती हैं। सहरिया के परिवार पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। अर्थात् परिवार का मुखिया पिता ही होता है। घर का प्रत्येक काम उसकी राय या सहमति से होता है।''[2]

पिता के बुर्जुग होने या मृत्यु होने पर परिवार का बड़ा सदस्य (पुरूष) ही घर का मुखिया होता है। जमीन घर या अन्य सम्पत्ति जो नाममात्र की होती है, का बंटवारा घर के सदस्यों द्वारा ही बिना झगड़े शांतिपूर्वक कर लिया जाता है। घर का मुखिया सदैव पुरूष सदस्य ही होता है। पारिवारिक विवाद का निपटारा घर के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है।

[1] नायक टी. डॉ.बी., द सहरिया, पृ. 16
[2] भानु व्यास उदय – सहरिया विकास अभिकरण एक मूल्यांकन पृ. 31

गोत्र :–

सहरिया गोत्र को 'गोत्र' या 'बेक' कहते हैं। गोत्र जातीय इतिहास की पहचान का प्रतीक है, इसलिए प्रत्येक जाति में गोत्र चिन्ह देवता का अनुष्ठान का प्रचलन हुआ। अनुष्ठान की प्रतिष्ठा में अनेक निषेध बने। गोत्र चिन्हों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा और सम्मान की भावना प्रत्येक जनजाति समूह में है। सहरिया गोत्र चिन्हों को ताबीज और गुदाने के रूप में शरीर पर धारण करते हैं। उन पेड़ पौधों को काटते नहीं, उन्हें उलांघते नहीं, सदैव उनका आदर और पूजा करते हैं। सगोत्री परस्पर स्नेह व ममत्व रखते हैं। सहरियाओं में एक विचित्र गोत्र संयोग होता है, जिसे सहोदर गोत्र कहा जाता है। इनमें विवाह निषिद्ध है। ऐसे गोत्रों में उमरिया–ढोंढिया, डंगिया–लौगिया, बरोदिया और फीफर बरोदिया, खड्या और कलखाड़िया आदि हैं। वे आपस में भाई भाई माने जाते हैं।

गोत्र और गोत्र चिन्ह :–

1. अतरिया – अतर का पेड़

2. डंगिया – डांग या जंगल

3. भिलोड़िया/भिलवार – नदी का घाट

4. ढोंडिया – धोकड़ा नामक पेड़

5. कुड़वारिया – गुड़बहार का पेड़

6. बदरेटिया – चरवाहा

7. बरोदिया – बड़ का पेड़

8. पीपर बरोदिया – पीपर के पत्ते

9. सेलिया – पत्थर की शिला

10.गोवैया/गोवरिया – गाय का गोबर या गाय चराने से

11.उमरिया – उमर का पेड़

12. सौरो/सोंहरे – सोहर मछली का नाम

13. बाजुल्ला – बाज पक्षी

14. निवेटिया – नीम या नींबू

15. मुआर – महुआ

16. देवरिया – घर की देहरी

17. ढ़ेडिया – पानी वाला सर्प

18. सेमरिया – सेमल का फूल

19. पटवा – सौदा बेचने के कारण

20. पलिया – तलैया

21. सोलंकी 22. चौहान 23. गोगिया 24. देरिया 25. रेवार 26. खेल्या। आदि गोत्र। इस प्रकार से सहरियाओं में 97 प्रकार के गोत्र पाये जाते हैं। रसेल एवं हीरालाल ने संतरों के गोत्र गणचिन्ह देते हुए लिखा है कि वर्गो के नाम सामान्यतः गणचिन्हों पर आधारित होते हैं जैसे बढ़ई, बाघ, बहरा, भाटिया, हाथिया, बीसी आदि।

धार्मिक संस्कार :–

सहरिया जनजाति के समुदाय में धार्मिक संस्कार अन्य आदिवासी समुदाय के लगभग समान ही है। विवाह, गर्भधारण, धार्मिक त्यौहारों के समय सहरिया लोग विभिन्न संस्कारों का पालन करते हैं। गर्भधारण के पश्चात सहरिया महिलाओं को कई निषेधों का पालन करना पड़ता है। जैसे शमशान भूमि में नहीं जाना, अकेली कुआं नदी बाबड़ी नाले नहीं जाना, ग्रहण नहीं देखना, शिशु जन्म के दिन बहन को विशेष रूप से बुलाया जाता है। शिशु जन्म के दसवें दिन या सुविधानुसार गृह स्वामी शिशु के मुण्डन व नामकरण संस्कार के लिये अपने परिजनों को तेल चावल भेजकर न्यौता देते हैं। आदिवासी समूह धार्मिक रूप से हिन्दू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये ब्रहमा, शिव, सूर्य, चन्द्र, जल, पहाड़, नदी आदि की पूजा करते हैं। ‘‘हिन्दुओं के

लंबे प्रभाव से सहरियाओं ने हिन्दू धर्म की बहुत सी बातें अपना ली हैं। सहरिया प्रायः अपने आपको हिन्दू कहते हैं, सहरिया लोग सर्वाधिक हिन्दू संस्कृति के प्रभाव में आये हैं। आज मुश्किल से इनमें जनजाति लक्षण को ढूंढा जा सकता है। व्यापक हिन्दू जाति व्यवस्था के फैलाव में इनका पारस्परिक व्यवसाय और स्थान पूरी तरह से समाहित हो गया है।''[1]

रसेल एवं हीरालाल ने सबर लोगों के धर्म के बारे में लिखा है, ''सबर लोगों में कई नामों से भवानी की और दूल्हा देव की, जो कि एक युवा वर थे, जिन्हें शेर ने मारा था। की पूजा की जाती है।'' कुछ स्थानों पर दूल्हा देव को रसोई में स्थापित किया जाता है, और इनके लिये एक कहावत भी प्रचालित है। – ''जैं चूल्हा तैं दूल्हा।'' संवर अच्छे गुनिया भी माने जाते हैं इस संबंध में कहावत है– ''संवर के पागे, रावत के बाँधे अर्थात सबर का जादू किया मनुष्य और रावत का बांधा बैल कभी छूट नहीं सकता। तथा सबर एक रूप में जहर का प्याला है।'' उनके टोटके संघर्ष में मरे व्यक्तियों की आत्मा के लिए सहायक होते हैं।''[2] सहरिया स्थानीय देवताओं पर अधिक विश्वास करते हैं। सुख दुख व बीमारी के समय वे उन्हीं देवताओं के पास जाते हैं।

सहरियाओं के देवी – देवता

1. **ठाकुर देव –** बच्चों और बूढ़ों की रक्षा करने वाले ग्राम–देवता है। रोगी के ठीक होने पर देवता को दारू और बकरे की बलि चढ़ाई जाती है।

2. **भैरव देव –** भैरव देव से बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की कामना करती है। भैरव देव प्रत्येक गांव में स्थापित रहते हैं।

3. **नाहर देव** – नाहर देव की स्थापना जंगल में होती है। नाहर का अर्थ शेर होता है। सहरियों का मानना है कि नाहर देव उनके पालतू जानवरों की रक्षा करते हैं।

---

[1] गाधेर, ए. विलेज सर्वे ऑफ इण्डिया 1961

[2] रसेल और हीरालाल, द ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रविन्सेस ऑफ इण्डिया

4. **दरेठ देव** – बच्चों का मुण्डन संस्कार दरेठ देव के सम्मुख किया जाता है।

5. **कारस देव –** ये देव सर्प या बिच्छू के जहर को उतारने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कारस देव खड्या गोत्र के कुल देवता हैं।

6. **भूमिया देव** – ये ग्राम देवता हैं। भूमिया देव गाँव के संरक्षक देव है। भूमिया देव की स्थापना किसी पेड़ के नीचे गाँव के छोर पर की जाती है। भूमिया देव की पूजा से बीमारी गांव में नही आती।

7. **हीरमन देव –** मनुष्य या पशु को सर्प काटने पर हीरमन देव नाम से बन्ध बांधे जाते हैं।

8. **बीजासेन माता :–** बच्चों की रक्षा करने वाली और सभी प्रकार के कष्ट को दूर करने वाली माता है।

9. **कैला माता** :– कैला माता कार्य सिद्ध करने वाली देवी है।

10. **कंकाली माता –** महामारी या दैवीय प्रकोप से बचाने वाली माता हैं।

सहरियों को भूत–प्रेत बाधाओं का अक्सर भय रहता है। उसकी रोकथाम के लिए भूत–प्रेतों से बड़ी औघड़ शक्ति के देवता जिन्न की पूजा प्रति तीन वर्ष में की जाती है। सहरियाओं की मान्यता है कि यदि जिन्न की पूजा करके प्रसन्न नहीं रखा गया तो वह लोगों को अकारण ही सताता है।

टोटम –

टोटम से अभिप्राय किसी भी समाज में किसी ऐसी अलौकिक शक्ति से है, जिसका पालन सभी लोगों को करना आवश्यक है। सामान्यतः गोत्र से सम्बन्धित कतिपय जुड़ी चीजों के प्रति विशेष सम्मान, लगाव या ऐसी आलौकिक भावना जो उसके प्रति जन्म से जुड़ी है। टोटम कहलाती है। जैसे गोत्र से जुड़ी भावना निवेटिया जनजाति नीम या

नींबू को, बाजुल्ला–बाज पक्षी, गोवैया–गाय को अपना आराध्य मानकर पूजा करते हैं। और यह उनके शुभ–अशुभ, भाग्य और संस्कार से अभिन्न रूप से जुड़ी है। इन टोटमी पेड़–पौधे, पक्षी अथवा जानवर की मृत्यु पर सामूहिक शोक प्रकट किया जाता है।

डॉ. एस. अखिलेश के अनुसार – ''किसी भौतिक वस्तु, पशु, पक्षी, पेड़, पौधा या प्रकृति की अन्य कोई चीज जिसके साथ एक गोत्र के सदस्य अपना एक गुण या अलौकिक संबंध मानते हैं, और जिसके प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति एवं आदर का भाव रखते हैं, टोटम कहलाता है।''[1]

आदिवासी समुदाय में टोटम का अत्यंत महत्व होता है। ये समुदाय चूंकि प्रकृति के बीच ही जन्म लेता है और सारा जीवन प्रकृति के बीच ही गुजारता है। अतः प्रकृति से होने वाले लाभ हानि को ये अपने जीवन में उतार लेते हैं, और उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते चले जाते हैं।

लगभग विश्व के सभी आदिवासी जनजाति समुदाय में टोटमवाद सामान्य रूप से विकसित हुआ। जिसका ये कड़ाई से पालन करते हैं। मुण्डाओं एवं उरांवों में भी टोटमवादी गोत्र है। जो पौधे या पशुओं या भौतिक वस्तुओं के नाम से जाने जाते हैं। टोटम या गण चिन्ह संबंधी पौधे पशुओं उनके गोत्र के पूर्वज की रक्षा या सहायता की है, अथवा उनका प्रयोग हुआ है। यह देखा जाता है कि सहरिया समुदाय में टोटम सम्बन्धी पेड़–पौधे धार्मिक दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण होते हैं।

बोली एवं कहावतें :–

बोली और कहावतें किसी भी जाति को सांस्कृतिक पहचान देती है। जिस प्रकार सात कोस में पानी का स्वाद बदल जाता है। उसी प्रकार बोली भी बदल जाती है। ग्वालियर गजेटियर के अनुसार– सबरों में सामान्यतः स्थानीय हिन्दुओं में बोली जाने वाली भाषा का प्रचलन है। सहरिया को कोलारियन या मुण्डारी परिवार का सदस्य मानते हुये डॉ. रसेल और हीरालाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मध्य प्रान्त के

[1] अखिलेश डॉ. एस. – सामाजिक मानवशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिशर्स पृ.17

सबर अपनी भाषा छोड़कर यहाँ बोली जाने वाली आर्यो की हिन्दी और उड़िया बोलने लगे थे। लेकिन मद्रास के सबरों ने अपनी भाषा नहीं छोड़ी जिसका वर्गीकरण सर जी ग्रिग्सन ने मुण्डारी अथवा कोलारियन के रूप में किया है। वे कहते हैं – ''मुण्डा भाषा के सर्वाधिक दक्षिणी रूप में वे हैं, जो कि मद्रास उत्तर पूर्व के सबर और गदबां बोलते हैं।''[1]

वर्तमान समय में सहरिया जहाँ निवास करते हैं, वहीं की बोली बोलने लगने हैं जैसे राजस्थान के सहरिया राजस्थानी, मध्यप्रदेश के सहरिया हिन्दी, उड़िया के सहरिया उड़िया। अर्थात सहरियाओं को अपनी कोई खास बोली नहीं है, वे स्थानीय बोली का ही प्रयोग करते हैं।

सहरियाओं के परम्परागत गीत, पहेली, कथायें, कहावतें आदि इनकी लोक संस्कृति को जीवंत करती है। सहरियाओं में गोठ लीला, रामजन्म, जानकी विवाह, पाण्डवों की कथा, लंगुरिया, फाग, रसिया, गारी, रामायणी, रागिनी, बाजनागीत, ख्याल, चकियागीत, सगड़ावत–बगड़ावत की लोक कथा अधिक प्रचलित है।

सहरियाओं के लिए एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है –

''फटने में खेर, भागने में शेर।'' अर्थात् किसी काम से जी चुराकर शेर की गति से भागने में सहरिया का कोई जबाव नहीं है।

छेरी की पीठ सदा उधारी – गरीबी से घिरे रहना।

तीन त्रिलोक से देखना – संकट में फंस जाना।

इस प्रकार सहरियाओं की न तो कोई निज बोली है, और न ही भाषा, कहावतों में भी वे भीरू ही नजर आते हैं।

आर्थिक पृष्ठभूमि –

सहरिया लोगों में आर्थिक उपार्जन के लिए कोई खास उद्योग या परम्परागत संसाधनों का विकास नहीं हो पाया है। परम्परागत धन्धे के

[1] निरपूणे बंसत, सहरिया, म.प्र. आदिवासी लोककला परिषद्, भोपाल का प्रकाशन।

रूप में कृषि, मजदूरी, शिकार, वनस्पति संग्रहण, महुआ, तेंदूपत्ता, सुखी लकड़ी को एकत्रित करना व बेचना प्रमुख है।

डॉ. रसेल एवं हीरालाल के अनुसार – ''सबरों का मुख्य धन्धा वनोत्पाद इकट्ठा करना और खेती है। ये मधुमक्खी के छत्तों से मधु निकालने में बेहद चतुर होते हैं। सबर ही काली मक्खियों को उनके छत्ते से बाहर भगा सकते हैं। इस जाति की पूर्वी शाखा बुण्देलखण्ड के साओंर लोगों से अधिक सभ्य होती है। साओंर अभी भी एक नोकदार छड़ी की सहायता से जुआरी बोते हैं और कहते हैं कि यह औजार उन्हें खेती के लिए महादेव ने दिया है।''[1]

आज का सहरिया आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सभी सहरियाओं के पास न तो कृषि भूमि है, और है भी तो आदिम परम्परागत प्रकार से की जाने वाली कृषि उपज कम है। जिससे ये परिवार का ही भरण पोषण करने में भी असमर्थ हैं। शहरी सहरियाओं ने जरूर कल–कारखानों में काम करना शुरू किया है। साथ ही मजदूरी, रिक्शा चलाने, हम्माली में भी कार्यशील है। सहरियाओं का सबसे महत्वपूर्ण परम्परागत आर्थिक आधार है, जंगल से जड़ी–बूटी इक्ट्ठी करना और बेचना। इन कार्यों में सहरियाओं को युगों से कुशलता प्राप्त है। किन्तु ये सहरिया इन जड़ी बूटी से किसी खास प्रकार की दवाई बनाने में असमर्थ हैं। इसलिए ये इन जड़ी बूटी को सस्ते दामों में ही लोगों को बेच देते हैं। अपने वनस्पति ज्ञान की उपयोगिता से अनभिज्ञ सहरिया आर्थिक शोषण का शिकार आसानी से हो जाते हैं। ''बरसात में अनेक औषधियां पत्ती के रूप में मिलती हैं। बरसात में अधिकांशतः पत्तियों का चयन किया जाता है। वर्षा के दिनों में अपों की पत्ती, क्लों की पत्ती, बड़ी बिलैया, छोटी बिलैया के फूल और पत्ते बैल, बिलौरा की बेल, भिलाई कान्द, शेष मुसरी जमीन में से, कुवाँ का बकुला बेल, आदि और ठण्ड के दिनों में सोना पौधे की जड़, चितावर की जड़, बड़ी छोटी आंवरी (आँवला), सयरे का फल, धतुरा, अकौवा का फूल, पत्तस सगा की जड़, बन्ने का बकुला, बर्रान की फली, शीशौन की फली,

[1] रसेल और हीरालाल, द ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रविन्सेस

खैर का फली, दुधी की फली, पाड़र का बकुला, टोकनी बनाना, झाड़ू बनाना, रस्सी बुनना आदि सहरियाओं के परम्परागत धन्धे हैं।''[1]

किसी भी जाति की पहचान समाज में उसके विशिष्ट कार्यों से होती हैं, कार्य ही व्यक्ति, जाति, जनजाति को समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करता है। सोने का काम करने वाला सोनार, लोहे का कार्य करने वाला लोहार, मछली पकड़ने वाला मछुवारा, नाव चलाने बाला नाविक आदि इसके कार्यों से इनकी पहचान है। किन्तु ये कैसी अजीब विडम्बना है कि वनस्पति की विभिन्न जड़ी बुटियों की कुशल जानकारी रखने वाला, उन जड़ी बुटी की पहचान कर घने जंगलों से तोड़कर लाने वाला सहरिया अपनी विशिष्ट पहचान भी नहीं बना पाया। और केवल एक आदिम जनजाति ही रह गया। जबकि इनकी जड़ी बुटियों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लाखों डालरों में हो सकती है। निश्चित रूप से अपने ज्ञान से ही अनभिज्ञ सहरिया आर्थिक शोषण का जबरदस्त शिकार है।

[1] निरपूणे बंसत, सहरिया, म.प्र. आदिवासी लोककला परिषद्, भोपाल का प्रकाशन।